मुकदमों का विवरण

चेन खोई कुई बनाम।

मियाओ शेंग और हमारा। (2023 की सिविल अपील No.5849-50) सितंबर 13,2023

[अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःक्या पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकरण देने के लिए सशक्त सोसायटी के पंजीयक के पास भी इस तरह के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति है।

पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम **1961-**पंजीयक द्वारा सोसायटी के पंजीकरण की समीक्षा करने या रद्द करने की शक्ति जिसने पहले पंजीकरण प्रदान किया थाः

आयोजित किया गयाःसोसायटी का पंजीयक प्रक्रिया संबंधी समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके सोसायटी को दिए गए पंजीकरण को रद्द कर सकता है जो आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी के भीतर निहित है-अधिनियम में समीक्षा की कोई ठोस शक्ति प्रदान नहीं की गई है-तथ्यों पर, उच्च न्यायालय की एक पूर्व खंड पीठ के फैसले के अनुसरण में, जिसमें कहा गया था कि भले ही अधिनियम में प्रदान की गई समीक्षा की कोई ठोस शक्ति नहीं है, प्रक्रिया संबंधी समीक्षा की शक्ति उस प्राधिकरण के भीतर निहित है जो आदेश पारित करता है, पंजीयक ने जालसाजी और हस्ताक्षरों के मनगढ़ंत होने का आरोप लगाते हुए एक सोसाइटी के रूप में हाई स्कूल के पहले दिए गए पंजीकरण को रद्द करने की मांग करने वाले आवेदन को अनुमति दी-अपील में, रेफरी न्यायाधीश ने सही माना कि मूल समीक्षा की शक्ति और प्रक्रिया संबंधी समीक्षा की शक्ति के बीच महत्वपूर्ण अंतर, अधिनियम में मौजूद नहीं था।

[अनुच्छेद 6,7,9,12 और 15] 308 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनामकेंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण और

अन्य (1980) (पूरक) एस. सी. सी. 420:[1981] एस. सी. आर. 341; कपड़ा मजदूर एकता

यूनियन बनाम बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड और अन्य (2005) 13 एस. सी. सी. 777:[2005] 2 एस. सी. आर. 888; रीना मुखर्जी और एक अन्य बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक अन्य (2008) ए. सी. जे. 1248-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2023 की सिविल अपील Nos.5849-5850

2017 के ए. पी. ओ. No.542 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित 19.09.2018 और 12.06.2019 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

सिद्धार्थ मित्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, कुणाल चटर्जी, सुमितव चक्रवर्ती, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, रोहित बंसल, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

राणा मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रोसित सेन, सौरव सेन, सुश्री डेज़ी हन्ना, सौमित्र जी. चौधरी, चंचल कुमार गांगुली, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्याय

अनिरुद्ध बोस**,** जे।

देरी को माफ कर दिया गया।

2. छुट्टी दे दी गई।

3. इस अपील में निर्णय के लिए जो मुख्य सवाल उठता है वह यह है कि क्या पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकरण देने के लिए सशक्त सोसायटी के पंजीयक के पास भी इस तरह के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति है।कानून में ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है जो ऐसे प्राधिकरण को अपने निर्णय की समीक्षा करने या रद्द करने की शक्ति प्रदान करता है।विवाद की जड़ 309 के दो समूहों के बीच टकराव में निहित है।

चेन खाई कुई बनाम लियांग मियाओ शेंग और हमारा। [अनिरुद्ध बोस, जे.] 310

कोलकाता में चीनी चमड़ा उद्योग के मालिकों ने एक स्कूल पर नियंत्रण कर लिया।विचाराधीन विद्यालय, अभिवचनों के अनुसार, वर्ष 1929 में 'पेई मे चाइनीज स्कूल' के रूप में अस्तित्व में आया, और आमतौर पर चाइना टाउन के रूप में संदर्भित क्षेत्र में एक छोटी सी झोपड़ी से संचालित होता था।इसके बाद, कोलकाता में चीनी चमड़ा मालिक संघ ने तंगरा के नाम से जाने जाने वाले इलाके में भूमि के एक बड़े हिस्से पर स्कूल की स्थापना की।अपीलार्थी के अनुसार, स्कूल को इस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था, अब सड़क का पता पी-1 और 2, ईश्वर मंडल लेन, कोलकाता-700046 है।चीनी मूल के चर्मकारों ने एक समय में कोलकाता में चमड़े के सामानों के प्रसंस्करण और उत्पादन के क्षेत्र में एक समृद्ध और जीवंत व्यापार समूह का गठन किया था और वे अभी भी उस क्षेत्र में मौजूद हैं।चाइनीज टैनरी ओनर्स एसोसिएशन को वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।एसोसिएशन का विनियमन, जिसकी एक प्रति पेपरबुक के पृष्ठ 72 पर

संलग्न की गई है, रिकॉर्ड करता है कि उक्त एसोसिएशन 1944 से काम कर रहा था और इसका अपना एक स्कूल है जिसे पेई मे स्कूल के नाम से जाना जाता है।इसमें विद्यालय का पता भी निर्दिष्ट किया गया है।अपीलार्थी स्कूल के सचिव होने का दावा करता है, जो उसके अनुसार चीनी चमड़ा मालिक संघ द्वारा संचालित था।

4. विवाद तब उत्पन्न हुआ जब पंजीयक ने उपरोक्त क़ानून के तहत, उत्तरदाताओं द्वारा किए गए एक आवेदन के जवाब में 19.02.2010 पर एक स्वतंत्र समाज के रूप में 'पेई मे चाइनीज हाई स्कूल' के नाम पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया।इस सोसायटी का पता पी-1-2, ईश्वर मंडल लेन दिखाया गया है, जिस पर चीनी चमड़ा मालिक संघ का दावा है।अपीलार्थी का तर्क है कि उक्त संगठन का पेई मे चाइनीज हाई स्कूल से कोई संबंध नहीं है।इस विवाद को शुरू में एक शिकायत के माध्यम से पंजीयक के साथ उठाया गया था।अपीलार्थी ने 17.08.2010 पर कुलसचिव को सात व्यक्तियों के पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत की थीं, जिन्हें "पेई मे चाइनीज हाई स्कूल" सोसायटी के आधिकारिक अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में दिखाया गया था।उनके पत्र मोटे तौर पर इस आशय के थे कि उन्हें कभी भी ऐसी क्षमता में नियुक्त नहीं किया गया था, जैसा कि "स्कूल सोसाइटी" के संगठन के ज्ञापन में दिखाया गया था।उक्त पत्रों में एक सोसायटी के रूप में पेई मे चाइनीज हाई स्कूल के पंजीकरण को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।शिकायतों के इस समूह में जालसाजी और हस्ताक्षर के मनगढ़ंत आरोप थे।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे विवादों को दीवानी न्यायालय में ले जाया गया था और आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की गई थी।अपीलार्थी के नेतृत्व में एक रिट याचिका भी दायर की गई थी।

जिसमें उक्त पंजीकरण को रद्द करने के लिए कहा गया था।सिविल मुकदमा चीनी चमड़ा मालिक संघ द्वारा वर्ष 2016 में सिविल जज, सियालदह में जूनियर डिवीजन के न्यायालय में टी. एस. No.142/2016 के रूप में पंजीकृत किया गया था।यह घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा था और इसमें वादी की ठोस राहत उत्तरदाताओं को पेई मे चीनी हाई स्कूल के प्रशासन में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए थी।ऐसा प्रतीत होता है कि उस वाद के संबंध में निकाली गई एक अंतर्वर्ती कार्यवाही में, अपीलार्थी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी।6. वर्ष 2011 से, प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा और उनके बीच कई दौर के मुकदमे हुए हैं।पंजीयक का आदेश, जिससे वर्तमान कार्यवाही शुरू होती है, 2015 के ए. पी. ओ. टी. संख्या 498 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्व खंड पीठ के फैसले के अनुसरण में पारित किया गया था।इस फैसले में लिखा है:-

“अपील में पूरा मुद्दा इस सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या सोसायटी के पंजीयक के पास 25-1-2012 पर उनके द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की शक्ति है।पंजीयक के समक्ष एक

आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें शिकायत की गई कि आवेदन में एक चुंग चिस पिंग के जाली हस्ताक्षर हैं।मान लीजिए, एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और जहां तक जालसाजी के आरोप का संबंध है, जांच लंबित है।मामले के उस दृष्टिकोण में पंजीयक का यह अवलोकन कि अवलोकन पर यह प्रतीत नहीं होता है कि चुंग शिह पिंग नामक दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर, जिन्होंने चुंग चिह पिंग के रूप में हस्ताक्षर किए हैं, जाली नहीं हैं, अपरिपक्व है।किस आधार पर वह इस तरह के निर्णय पर आता है, यह भी विवादित आदेश में नहीं लिखा गया है, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई है।

जहाँ तक समीक्षा की शक्ति का प्रश्न है, स्पष्ट रूप से विचाराधीन अधिनियम में समीक्षा की कोई ठोस शक्ति प्रदान नहीं की गई है।जहाँ तक प्रक्रियात्मक समीक्षा की बात है, यह उस प्राधिकारी के भीतर निहित है जो आदेश पारित करता है।मामले के उस दृष्टिकोण में, विद्वान न्यायाधीश को मामले को सोसायटी के पंजीयक को भेजने में न्यायसंगत ठहराया गया था।

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 की धारा 25 और 26 के संबंध में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बंदोपाध्याय के तर्क पर आते हुए, हमारी राय है कि इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि वे पूरी तरह से एक अलग परिस्थिति में काम करते हैं।यह 311 के ज्ञान पर छोड़ दिया गया है।

चेन खाई कुई बनाम लियांग मियाओ शेंग और हमारा। [अनिरुद्ध बोस, जे.] 312 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

उपरोक्त परिस्थितियों में पंजीयक हस्ताक्षर की जालसाजी के आरोप के संबंध में आपराधिक जांच के लंबित होने को ध्यान में रखते हुए मामले पर आगे बढ़े, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

इन टिप्पणियों के साथ, अपील और आवेदन का निपटारा कर दिया जाता है।"

7. पंजीयक ने **19.04.2016** पर पंजीकरण रद्द करने का आदेश पारित किया था और यह अन्य बातों के साथ-साथ इस आदेश में अभिनिर्धारित किया गया थाः-

"इसलिए, यह मामला माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए उठाया गया है और आगे की प्रासंगिकता से बचने के लिए, मैंने एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का फैसला किया है।मैंने रिट आवेदनों, मैंडमस अपील, उस पर रोक लगाने के लिए आवेदनों, विवादित पक्षों और उनके विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों और माननीय न्यायालय द्वारा पारित गंभीर आदेशों और कानून के प्रावधानों को देखा है जिन्हें माननीय न्यायालय के साथ-साथ प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा संदर्भित विद्वान गया था।चाइनीज टैनरी ओनर्स एसोसिएशन के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खंड-I (ए) से यह स्पष्ट है कि 1 और 2, ईश्वर मंडल लेन, कोलकाता-700046 में विचाराधीन स्कूल (पेई मे स्कूल) पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत

चाइनीज टैनरी ओनर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में चलेगा, जिसका पंजीकरण नंबर 1967-68 का एस/8546 है।

यदि पेइ मे स्कूल के उसी पते पर एक अलग इकाई के साथ एक नई सोसायटी (पेइ मे चाइनीज हाई स्कूल) का उदय होता है जो चाइनीज टैनरी ओनर्स एसोसिएशन का एक हिस्सा है और पश्चिम बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1961 के तहत पंजीकरण करना चाहता है, तो चाइनीज टैनरी ओनर्स एसोसिएशन के एसोसिएशन के ज्ञापन को उस प्रभाव में संशोधित किया जाना है और इसे सोसाइटीज के पंजीयक से अनुमोदित किया जाना है।लेकिन मुझे अभिलेखों में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला है जिसमें चीनी चमड़ा मालिक संघ ने अपने संगठन के ज्ञापन में इस तरह के संशोधन के लिए आवेदन किया हो।

मैंने इस मुद्दे में लंबित आपराधिक कार्यवाही के गुण-दोष को नहीं देखा है, जिस पर संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना है, लेकिन केवल पेई मे चाइनीज हाई स्कूल को प्रमाण पत्र जारी करने के औचित्य के मामले पर बल दिया गया है।मेरी राय में, एक पंजीकृत सोसायटी यानी चीनी के अलग दायरे के तहत पेई मे चीनी उच्च विद्यालय के पंजीकरण के लिए आवेदन।

चमड़ा मालिक संघ, अधिनियम के प्रावधान और तथ्य को दबाकर इस तरह से प्राप्त पंजीकरण का उल्लंघन करते हुए, रद्द होने के लिए उत्तरदायी है।

इसलिए, माननीय न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी के दिनांक 16,07.2015 के आदेश में उल्लिखित बंगाल सामान्य खंड अधिनियम, 1899 की धारा 22 द्वारा सशक्त होने के कारण, मैं 2009-10 की पंजीकरण संख्या S/IL/68216 वाले पेई मे चीनी उच्च विद्यालय के संबंध में पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के तहत दिए गए पंजीकरण को रद्द करने का यह आदेश पारित कर रहा हूं।

इसलिए यह सोसायटी पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत सोसायटी के रूप में कार्य नहीं कर सकती है।

यह ध्यान देने योग्य है कि इस आदेश को पूर्ववर्ती मामले के रूप में तब तक उद्धृत नहीं किया जा सकता जब तक कि यह न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट रूप से निर्देशित न हो।"

8. 2016 की रिट याचिका No.391 और 2016 की रिट याचिका No.518 में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष कुलसचिव के आदेश पर असफल हमला किया गया था।कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विद्वान न्यायाधीशों के बीच, प्रत्यर्थी नं.1 और रद्द करने के आदेश को कायम रखने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ अन्य। पीठासीन न्यायाधीश ने राय दी कि पंजीयक का निर्णय सही था जबकि सहयोगी न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह के मुद्दे को पंजीयक द्वारा नहीं निपटा जा सकता क्योंकि यह प्रक्रियात्मक समीक्षा की प्रकृति में नहीं था।सहयोगी न्यायाधीश ने अपने भिन्न दृष्टिकोण में कहा कि चूंकि धोखाधड़ी और जाली हस्ताक्षर का मुद्दा पहले से ही "नीचे के न्यायालय" के समक्ष लंबित है,

संभवतः दीवानी मुकदमे और आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने का संकेत देते हुए, ऐसे मामलों में निर्णय पक्षों को पूरी तरह से राहत प्रदान करेंगे।यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि एसोसिएशन के ज्ञापन में संलग्न हस्ताक्षर जाली थे, तो पंजीयक अपने स्वयं के पंजीकरण आदेश की समीक्षा करने की अपनी प्रक्रियात्मक शक्ति का उपयोग करते हुए सोसायटी का पंजीकरण रद्द करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा क्योंकि धोखाधड़ी से सब कुछ दूषित हो जाता है, और यदि न्यायालय का मानना है कि शिकायत में कोई गुण नहीं है तो पंजीकरण का प्रमाण पत्र जांच के लिए खुला नहीं होगा।

9. कलकत्ता उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट अधिनियम, 1865 के खंड 36 के संदर्भ में, मामला तीसरे न्यायाधीश को भेजा गया था और रेफरी न्यायाधीश ने संदर्भ का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित दो प्रश्न तैयार किए:

- 313

चेन खाई कुई बनाम लियांग मियाओ शेंग और हमारा। [अनिरुद्ध बोस, जे.] 314 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

“1. चाहे फर्मों, समितियों और गैर-व्यापारिक निगमों के पंजीयक, पश्चिम बंगाल, प्रत्यर्थी नं।2 रिट याचिका में (इसके बाद पंजीयक), क्या "पेई मे चाइनीज हाई स्कूल" के नाम पर पहले दिए गए पंजीकरण को इस आधार पर रद्द करने की शक्ति थी कि ऐसा पंजीकरण अपीलकर्ताओं/रिट याचिकाकर्ताओं (इसके बाद अपीलकर्ताओं) द्वारा भौतिक तथ्यों को दबाकर प्राप्त किया गया था?2. यदि प्रथम प्रश्न का उत्तर प्रत्यावेदन में दिया गया था, तो क्या पंजीयक ने रद्द करने का विवादित आदेश पारित करने से पहले प्रत्यर्थी सं. द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप का बचाव करने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप अपीलार्थियों को उचित और उचित अवसर दिया था।4, श्री चेन खोई कुई. (इसके बाद आक्षेपकर्ता)?”

10. प्रक्रियात्मक समीक्षा और मूल समीक्षा के बीच के अंतर का विश्लेषण करते हुए, रेफरी न्यायाधीश ने उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित शब्दों में दिया:-

“36. 1961 का अधिनियम जिस बात को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है, वह है एक ऐसे नाम के तहत एक सोसायटी का पंजीकरण जो पहले से पंजीकृत किसी अन्य सोसाइटी के नाम के समान है, या लगभग मिलता-जुलता है।वर्तमान मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों समितियों के नाम अलग-अलग हैं, हालांकि यह सच है कि चाइनीज टैनरी ओनर्स एसोसिएशन को 1961 के अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है, इस प्रकटीकरण के साथ कि पेई मे चाइनीज हाई स्कूल इस तरह के संगठन का एक सहयोगी संगठन है।हालाँकि, क्या पे मे चीनी उच्च विद्यालय के नाम पर अपीलार्थियों द्वारा प्राप्त पंजीकरण किसी धोखाधड़ी का परिणाम है या अन्यथा वैधानिक रूप से वर्जित है, पंजीयक द्वारा पारित रद्द करने के आदेश में बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित नहीं किया गया है।यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भौतिक तथ्य को दबाने का आरोप सफल हो, यह पक्षकार का दायित्व है कि वह अपीलार्थियों के पंजीकरण के लिए आवेदन पर विचार किए जाने के समय अभिलेख पर दस्तावेजों के संदर्भ में इसे साबित करे।

1961 के अधिनियम के लिए आवश्यक है कि प्रस्तावित पंजीकृत सोसायटी के नियमों और विनियमों के साथ एक ज्ञापन में खुलासा किए जाने वाले विवरणों के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाए।ज्ञापन का कोई भी रूप वैधानिक रूप से निर्धारित नहीं किया गया है।इस तरह के प्रपत्र के अभाव में, यह सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है कि पंजीकरण के लिए किन प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है।ज्ञापन प्रस्तुत किया गया

अपीलार्थियों द्वारा रिट अपील के अभिलेखों में नहीं दिखाया गया है।ज्ञापन या उसकी सामग्री अभिलेख में नहीं है और पंजीयक ने भी अपने विवादित आदेश में इसका उल्लेख नहीं किया है, दमन की डिग्री और यह भी कि क्या यह एक भौतिक तथ्य है, जिसका खुलासा होने पर, अस्वीकृति के लिए आवेदन की संक्षिप्त अस्वीकृति का प्रभाव हो सकता था, यह पता नहीं लगाया जा सकता है और वर्तमान क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किसी न किसी तरह से आवेदन वापस करना मुश्किल है।

37. श्री कृष्णन बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, (1976) 1 एस. सी. सी. 311 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक कानून के छात्र के परीक्षा देने के दावे पर विचार करते हुए, जिसे प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय ने अस्वीकार कर दिया था, पैराग्राफ 7 में कहा था किः

“*** यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां एक व्यक्ति जिस पर धोखाधड़ी की जाती है, वह उचित परिश्रम से सच्चाई की खोज करने की स्थिति में है, धोखाधड़ी साबित नहीं होती है।यह न तो सुझाव देने का मामला था, न ही दमन करने का मामला था।***” (मूल में इटैलिक) 38।मेरे विचार में, अज्ञानता या अन्यथा के कारण, पंजीयक ने 14 जनवरी, 2016 के अपने आदेश में माननीय खंड पीठ द्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्र के मापदंडों के भीतर कार्य नहीं किया, जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है।वह मूल समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़े, जो इस तरह के आदेश के संदर्भ में उनके लिए उपलब्ध नहीं था और वह भी सफल अपीलार्थियों के पंजीकरण के लिए आवेदन के संदर्भ के बिना।मूल समीक्षा की शक्ति और प्रक्रियात्मक समीक्षा की शक्ति के बीच महत्वपूर्ण अंतर, स्पष्ट रूप से, पंजीयक के दिमाग में मौजूद नहीं था।यदि अपीलार्थियों की ओर से दमन किया गया था, तो यह दिखाया जाना था कि इस तरह का दमन एक धोखाधड़ी के समान था जिसके परिणामस्वरूप एक वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पंजीकरण देने का आदेश दिया गया था।यह नहीं दिखाया गया है।यही कारण है कि, तथ्यों और परिस्थितियों पर, मैं ऊपर उल्लिखित अंतर के पहले बिंदु का उत्तर नकारात्मक में देता हूं।

39. इस तरह के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, दूसरे बिंदु का उत्तर देने का सवाल ही नहीं उठता है।

40. इस प्रकार, हालांकि मैं उस विद्वान न्यायाधीश से सहमत हूं, जिन्होंने प्रस्ताव दिया था कि विद्वान न्यायाधीश के 18 मई, 2017 के आदेश को अपास्त करना दिया जाना चाहिए

चेन खाई कुई बनाम लियांग मियाओ शेंग और हमारा। [अनिरुद्ध बोस, जे.] 316 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

और जिस अपील की अनुमति दी गई है, मेरा यह भी विचार है कि पक्षों को दीवानी न्यायालय के समक्ष लड़ने के लिए छोड़ना परिस्थितियों में उचित नहीं हो सकता है।एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाए जाने और ऊपर देखे गए धोखाधड़ी से संबंधित कानून को ध्यान में रखते हुए, पंजीयक द्वारा उल्लंघन में 14 जनवरी, 2016 के माननीय खंड पीठ के आदेश के पालन के साथ, दोनों पक्षों के नुकसान और पूर्वाग्रह के लिए, रिट याचिका और अपील के तहत निर्णय और आदेश में आरोपित आदेश को अपास्त करनाना और न केवल 14 जनवरी, 2016 के उक्त आदेश का पालन करके, बल्कि ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में भी उचित निर्णय लेने के लिए मामले को पंजीयक को और रिमांड करने का आदेश देना उचित और उचित होगा।इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है।इस तरह की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए, जो माननीय खंड पीठ के अलग-अलग न्यायाधीशों द्वारा निर्देशित से अलग है, मैं 2014 (4) सीएचएन (सी. ए. एल.) 242 (शिवानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ इंडिया) और 2015 (2) सी. एल. जे. (सी. ए. एल.) 141 (तापस पॉल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य) में रिपोर्ट किए गए निर्णयों में इस न्यायालय के रेफरी न्यायाधीशों के निर्णयों का उल्लेख कर सकता हूं।), और 2017 के ए. पी. ओ. 508 में 31 जनवरी, 2019 का अनिर्दिष्ट निर्णय (श्री अमी यो भूषण दास बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और अन्य)। मेरे द्वारा दिया गया।

41. इस निर्णय और आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर आक्षेपकर्ता और अपीलार्थियों की सुनवाई की जाएगी।पंजीयक, सुनवाई बंद होने के तुरंत बाद, विवादास्पद मुद्दों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा और उसके बाद एक महीने की आगे की अवधि के भीतर अपना निर्णय देगा।गौर करने की आवश्यकता नहीं है कि पंजीयक को इस आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में निर्णय लेना चाहिए और उसके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, उसे कारणों का समर्थन होना चाहिए।

42. संदर्भ का जवाब तदनुसार दिया जाता है और रिट अपील का बिना किसी लागत के निपटारा किया जाता है।”

11. अपने स्वयं के आदेश को रद्द करने की पंजीयक की शक्ति के बिंदु पर, रेफरी न्यायाधीश, जिसका निर्णय अपील के अधीन है, ने बंगाल सामान्य खंड अधिनियम, 1899 की धारा 22 के प्रावधानों का हवाला दिया है जो निर्धारित करता हैः-

“22. इसमें जोड़ने**,** संशोधन करने**,** परिवर्तन करने या परिवर्तन करने की शक्ति शामिल करने के लिए जारी करने की शक्ति

आदेशों आदि को रद्द करें।— जहां किसी भी बंगाल अधिनियम या पश्चिम बंगाल अधिनियम द्वारा आदेश**,** नियम**,** उपनियम या अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है**,**

फिर, उस शक्ति में एक शक्ति शामिल है, जो समान तरीके से प्रयोग की जा सकती है और समान मंजूरी और शर्तों (यदि कोई हो) के अधीन, इस तरह जारी किए गए किसी भी आदेश, नियमों, उपनियमों या अधिसूचना में जोड़ने, संशोधन करने, परिवर्तन करने या रद्द करने के लिए।"

12. ग्रिंडलेज़ बैंक के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए

लिमिटेड-बनाम-केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण और अन्य [1980 (पूरक) एस. सी. सी. 420] और काप्रा मजदूर एकता यूनियन-बनाम-बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड और अन्य [(2005) 13 एस. सी. सी. 777],

और रीना मुखर्जी के मामले में उसी उच्च न्यायालय का निर्णय भी।

और एक अन्य-बनाम-न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक अन्य [(2008)

ए. सी. जे. 1248], रेफरी न्यायाधीश ने राय दी कि पंजीयक ने अपनी मूल समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़े और वह भी पंजीकरण के लिए आवेदन के संदर्भ के बिना जो सफल हुआ।यह विवादित फैसले के पैराग्राफ 38 में दर्ज किया गया है, जिसे हमने ऊपर पुनः प्रस्तुत किया है।13. हमारे समक्ष अपीलार्थी की ओर से उठाए गए बिंदुओं में से एक यह है कि डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की गई है और यह डिवीजन बेंच के लिए अनुमति प्राप्त नहीं थी, और बाद में रेफरी जज द्वारा प्रश्न की फिर से जांच करने की अनुमति नहीं थी कि किस तरह से पंजीयक ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था।लेकिन हमें लगता है कि रेफरी न्यायाधीश ने 14.01.2016 पर दिए गए डिवीजन बेंच के फैसले में पहले से शामिल किसी भी मुद्दे को संबोधित नहीं किया है।डिवीजन बेंच ने मूल समीक्षा और प्रक्रियात्मक समीक्षा की शक्ति के पहलू पर कानून की स्थिति को समझाया है।रेफरी न्यायाधीश ने केवल वही सिद्धांत पंजीयक के आदेश का परीक्षण करने के लिए लागू किया है।इस प्रकार, हमें नहीं लगता कि जहां तक इस बिंदु का संबंध है, उत्तरदाताओं के खिलाफ रचनात्मक प्रति न्यायिकता का सिद्धांत लागू होता है।इसके अलावा, रेफरी न्यायाधीश के समक्ष, विवाद पंजीयक द्वारा डिवीजन बेंच द्वारा 14.01.2016 पर निर्णय देने के बाद लिए गए निर्णय के इर्द-गिर्द केंद्रित था और इसने कार्रवाई का एक नया कारण बनाया।

14. प्रत्यर्थियों की ओर से, यह प्रस्तुत किया गया है कि एफ. आई. आर. No.673/2010 दिनांक 19.10.2010 जिसमें जाली हस्ताक्षर का वही आरोप लगाया गया था, संबंधित न्यायालय के समक्ष जांच अधिकारी द्वारा एफ. आई. एन. ए. एल. रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ बंद हो गया।हमारे समक्ष यह प्रस्तुत किया गया है कि आपराधिक मामले में आरोपी व्यक्ति (प्रतिवादी no.14) को एसीजेएम, सियालदह द्वारा 07.04.2021 पर पारित आदेश द्वारा आरोपमुक्त कर दिया गया है।लेकिन यह तथ्य, हमारी राय में, विवाद को समाप्त नहीं करता है और किसी भी स्थिति में 317 को बंद कर देता है।

चेन खाई कुई बनाम लियांग मियाओ शेंग और हमारा। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

रिपोर्ट के परिणामस्वरूप सोसायटी पंजीयक के समक्ष झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आरोपों के निर्णय पर पक्षकारों के दो समूहों के बीच विवाद का अंतिम निर्धारण नहीं हो सकता है। अन्यथा, प्रत्यर्थियों ने उस फैसले का बचाव किया है जो हमारे समक्ष अपील के अधीन है।

15. हमारा विचार है कि विवादित निर्णय हमारे हस्तक्षेप की गारंटी देने वाली किसी भी कानूनी कमी के कारण पर्याप्त नहीं है।

16. हमारे सामने यह भी तर्क दिया गया है कि चीनी चमड़ा मालिक संघ उस भूमि का मालिक है जहाँ विषय विद्यालय स्थित है।इस बिंदु पर, हम यह जोड़ेंगे कि यदि उत्तरदाता अपनी अनुमति के बिना उक्त संघ के स्वामित्व वाली भूमि पर स्कूल चलाने के अपने अधिकार का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो उस कारक पर भी पंजीयक द्वारा विचार किया जा सकता है और यह पंजीकरण रद्द करने का आधार भी हो सकता है।लेकिन उस हिसाब से कोई भी निर्णय दीवानी न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय के अधीन होगा यदि उस हिसाब से कोई कार्रवाई दीवानी न्यायालय के समक्ष लंबित है।17. वर्तमान अपील का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाएगा।18. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

19. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील का निपटारा किया गया।

निधि जैन